"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 671] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2019 — आश्विन 23, शक 1941

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 सितम्बर 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-2/2019/मबावि/50. — राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित बाल देखरेख संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 65(1) एवं दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के विनियम 23 एवं 24 के अनुसार अंतर्देशीय और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण में बालकों के स्थापन के लिये विशिष्ट दत्तक अभिकरण के रूप में मान्यता प्रदान करता है :-

क्र.	स्वैच्छिक संगठन का नाम/ पता	विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी का पता	जिले का नाम	स्वीकृत क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बिलासपुर सेवा भारती मॉतुलजा भवानी मंदिर के पास, होम गार्ड कैम्प के सामने कुदुदण्ड बिलासपुर (छ. ग.)	मातृछाया, डॉ. नीलिमा भट्ट क्लीनिक के सामने कोसाबाड़ी कोरबा (छ. ग.)	कोरबा	10
2.	बिलासपुर सेवा भारती मॉतुलजा भवानी मंदिर के पास, होम गार्ड कैम्प के सामने कुदुदण्ड बिलासपुर (छ. ग.)	मातृछाया, पाटीदार भवन के पीछे, रायपुर नाका, राजनांदगांव (छ. ग.)	राजनांदगांव	10

2. यह मान्यता निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह मान्यता प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए अथवा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के तहत् पंजीकरण समाप्ति तक, जो भी पहले हो वैध होगी. निर्धारित समयावधि पश्चात् संस्था द्वारा बच्चों के दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के विनियम 24 के प्रावधानानुसार नवीनीकरण कराया जा सकेगा.

2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 65 (4) तथा दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के विनियम 25 के प्रकाश में संस्था की मान्यता निलंबित अथवा प्रतिसंहरण की जा सकेगी.

3. संस्था को निर्धारित मापदण्ड अनुसार बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा.

4. मान्यता प्रदान की जाने वाली विशिष्ट दत्तक अभिकरणों द्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015, नियम 2016, दत्तक ग्रहण विनियम 2017 तथा बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी/वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा.

5. संस्था के कर्मचारियों व पदाधिकारियों को बैठक व प्रशिक्षण हेतु नामांकित किये जाने की दशा में उपस्थिति अनिवार्य होगी.

6. दत्तक ग्रहण हेतु दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के विनियम 46 के प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क लेने का अधिकार होगा. प्रत्येक शुल्क/दान का विवरण राज्य बाल संरक्षण समिति को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा. प्राप्त शुल्क/दान का उपयोग बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण पर किया जाना होगा.

7. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगी.

8. संस्था को निर्दिष्ट स्थानों में "क्रेडल बेबी रिसेप्शन सेंटर" की स्थापना करनी होगी.

9. संस्था को केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा बनाए गए "केयरिंग्सवेबसाईट" पंजीयन कराते हुए सभी सुसंगत विवरण दर्ज करना आवश्यक होगा.

10. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेख व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.

11. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.